2·2

(5)

एस.सी.पी.

संख्या–827 / III–2 / 06–76(प्रा.आ.) / 05टी.सी.।

प्रेषक,

टी0के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

1908
01/4/06

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 28 मार्च, 2006

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–06 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस.सी.पी.) के अन्तर्गत 69(उनहत्तर) नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस.सी.पी.) के अन्तर्गत 69(उनहत्तर) नये कार्यों के रूपये 7509.24 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रूपये 6981.98 लाख (रू0 उनहत्तर करोड़ इक्यासी लाख अठानवे हजार मात्र) की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उसके सम्मुख कालम–06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 0.69 लाख (रू0 उनहत्तर हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में सम्मिलित नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरियता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तब ही किया जायेगा जब योजना हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर उस कब्जा प्राप्त हो जाय। यदि कब्जा नही प्राप्त होता है तो उसकी सूचना शासन को देकर समस्त धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

11. यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को सर्मपित कर दी जायेगी।

12. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक- 31.03.2006 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय।

13. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

14. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

15. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय व्ययक में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय --04 जिला तथा अन्य सड़के- आयोजनागत--800--अन्य व्यय-02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

15. **यह आदेश वित्त अनुभाग--2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-548 /XXVII/(2)/2005 दिनांक 28 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

संलग्नकः- 69 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 827(1)/III-2/05,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-- महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद/ देहरादून।
2-- आयुक्त कुमायूं मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौडी।
3-- समस्त जिलाधिकारी /कोषाधिकारी, उत्तराँचल।
4-- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5-- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल देहरादून।
6-- मुख्य अभियन्ता, कुमायू क्षेत्र/गढ़वाल क्षेत्र लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/पौडी।
7-- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराँचल ।
8-- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन।
9-- लोक निर्माण अनुभाग-1/2 उत्तरांचल शासन/ गार्डबुक ।

आज्ञा से,

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

(7)

शासनादेश संख्या– 827/ III(2)/06– 76(प्रा.आ.)/05टी.सी.। दिनांक 28 मार्च,2006 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा आंकलित राशि	वित्तीय वर्ष2005–06 में व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	पिथौरागढ़ में एस.सी.पी. के अन्तर्गत जाख मेलढुंगरी मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	7.00	101.50	101.50	0.01
2.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत जी.आई.सी. सुकौली–डुंगरी रॉवल मोटर मार्ग का नव निर्माण	12.00	213.60	213.60	0.01
3.	देवलथल कनालीछीना मोटर मार्ग के किमी0 4 से 13 का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	10.00	178.00	178.00	0.01
4.	एस0सी0पी0 के अन्तर्गत सैनी सैनी कुम्डार मोटर मार्ग से कनारी पाभै होते हुए अम्बेदकर गांव सौड़खेत तक मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	89.00	89.00	0.01
5.	एस0सी0पी0 के अन्तर्गत ऐचौली–गैना मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	53.40	53.00	0.01
6.	एस0सी0पी0 के अन्तर्गत मटियाल बैण्ड से ऊपरतोला मोटर मार्ग का विस्तार	1.00	17.80	17.80	0.01
7.	एस0सी0पी0 के अन्तर्गत मटियाल बैण्ड से ऊपरतोला मोटर मार्ग में 36 मी0 व 12 मी0 स्पान सेतु का निर्माण	36.00 व 12.00 मी0	55.20	55.20	0.01
8.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत बडाबे से सिलिंगिया मोटर मार्ग का विस्तार	3.00	53.40	53.40	0.01
9.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत जाख–रावल गांव–धरासी– चमेला–रामेश्वर मोटर मार्ग का नव निर्माण	15.00	267.00	267.00	0.01
10.	दूनी चहज मोटर मार्ग के किमी0 6 से ड्यूलहेड़ा कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	89.00	89.00	0.01
11.	डिग्री कालेज लोहाघाट से गंगलौला–नसखोला होते हुए अम्बेडकर ग्राम पोखरीबोरा तक मोटर मार्ग का निर्माण	25.00	445.00	445.00	0.01
12.	अल्मोडा में सल्ट के अन्तर्गत भौनडांडा से जैखाल तक सडक निर्माण का कार्य	6.00	129.30	106.80	0.01
13.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत छेड़ा– कुम्मैयाचौड –नरगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण	10.00	178.00	178.00	0.01
14.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत अमोड़ा, कठुली नावां जेरल किमोला मोटर मार्ग का नव निर्माण	12.00	166.80	166.80	0.01

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

(8)

15.	अल्मोड़ा में हवालबाग विकास खण्ड के अन्तर्गत खूंट काकडीघाट मोटर मार्ग से ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग निर्माण	4.00	95.20	71.20	0.
16.	अल्मोड़ा में हवालबाग ब्लाक के अन्तर्गत खूंट काकाड़ीघाट मोटर का अनुसूचित बाहुल्य ग्राम सिद्धपुर तक विस्तार	3.00	71.40	53.40	0.0
17.	अल्मोड़ा में लमगाड़ा वि0ख0 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्राम बजेठी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	7.00	156.76	124.60	0.0
18.	अल्मोड़ा में लमगाड़ा वि0ख0 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्राम दाड़िमी उड़यारी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	15.00	339.36	267.00	0.0
19.	अल्मोड़ा में लमगाड़ा वि0ख0 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य ग्राम चौतरा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	4.00	95.32	71.20	0.01
20.	नैनीताल में चोपड़ा–दुमगांव–कूल हल्का वाहन मार्ग तथा मोअर मार्ग का डामरीकरण	6.00	115.00	115.00	0.01
21.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत थल–बल्तिर मार्ग के किमी0 4 से अल्काथल–करेला मोटर मार्ग का नव निर्माण	4.00	71.20	71.20	0.01
22.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत गुवानी–गोबराडी मोटर मार्ग के किमी0 2 से चिटगाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	4.00	93.70	93.70	0.01
23.	जनपद हरिद्वार में अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को जोडने वाले मार्गों के सुधार कार्य के अन्तर्गत प्रहलादपुर–हस्तमोली मार्ग का सुधार एवं सुदृढीकरण का कार्य	2.53	48.67	48.67	0.0
24.	जनपद हरिद्वार में अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को जोड़ने वाले मार्गों के सुधार कार्य के अन्तर्गत गोरधनपुर–रोहालकी–कर्णपुर मार्ग का सुधार	4.00	40.73	40.73	0.0
25.	जनपद हरिद्वार में अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को जोड़ने वाले मार्गों के सुधार के अन्तर्गत फतेहपुर–जुनार सम्पर्क मार्ग का सुधार	2.30	22.42	22.42	0.(
26.	जनपद हरिद्वार में इकबालपुर के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में मार्गों के सुधार के अन्तर्गत सी.सी. मार्ग	7.60	149.68	144.35	0.
27.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत उत्तरकाशी में थौलधार घण्डाला ब्याली मोटर मार्ग का डामरीकरण 1.500 से 6.500	5.00	53.50	53.50	0.
28.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत जखेड़ से खोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	1.00	116.60	116.60	(

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

29.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत हिसरियाखाल– बगवान ह०वा० मार्ग के शेष 0.400 किमी० भाग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं पक्कीकरण	0.400	6.24	6.24	0.01
30.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत डांगचौरा से मुण्डोली–गोली– गुरछोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण.	12.00	194.40	194.40	0.01
31.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत कौडिया–सियारौंण मार्ग का विस्तार	3.00	48.45	43.20	0.01
32.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत नन्दप्रयाग–देवखाल मोटर मार्ग से काफलखेत–दादर तक मोटर मार्ग निर्माण	3.00	76.32	43.20	0.01
33.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत मठियाण गांव मोटर मार्ग का नव निर्माण	2.00	32.40	32.40	0.01
34.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत भटगांव मोटर मार्ग का निर्माण	0.500	8.10	8.10	0.01
35.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत भैंसकोट मोटर मार्ग का निर्माण	8.00	129.60	129.60	0.01
36.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत पाटावालागांव मोटर मार्ग का निर्माण	6.00	97.20	97.20	0.01
37.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत पौडी गढवाल में भ्यूलेथ में मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	27.80	27.80	0.01
38.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत नैनीताल में कुन्जखड़क से हरिनगर बदन धूरा मोटर मार्ग का नव निर्माण	4.00	103.00	71.20	0.01
39.	दशाईथल खिरमाण्डे मोटर मार्ग का पुनः निर्माण व सुधार	11.80	171.10	171.10	0.01
40.	जिला पौडी गढवाल में एस.सी.पी. के अन्तर्गत गूम–किनसूर–बागी मोटर मार्ग के निर्माण के संबंध में	8.00	143.20	143.20	0.01
41.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत पुरोला–कुफारा मोटर मार्ग के किमी० 1.50 से किमी० 6.25 किमी० तक मार्ग का सुदृढीकरण, डामरीकरण एवं पुलिया निर्माण	4.75+ 6मी० स्पान आर. सी.सी. पुल	59.53	59.53	0.01
42.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत पुरोला–खलाडी–धड़ोली मोटर मार्ग के किमी० 5.00 से 8.00 किमी० तक मार्ग का सुदृढीकरण एवं डामरीकरण	4.00	42.80	42.80	0.01
43.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत ग्राम छाना–खरकोट हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण	8.00	142.40	142.40	0.01
44.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत देघाट–चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी. 13.00 के नगरकोटिया नामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	64.20	53.40	0.01

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

45.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत लछमौला नौबा मोटर मार्ग का एक सेतु सहित नव निर्माण	5.00 +12.00 मी0	121.40	103.40	0.01
46.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत बासोट–घट्टी मोटर मार्ग के किमी0 15.00 से थापला गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण	8.00	171.20	142.40	0.01
47.	पथराड़ाखाल गैंठीछेड़ा मोटर मार्ग के किमी0 2 एवं हे0मी0(4–6) से वड्डा कान्डेइ बुरांसी होते हुए ग्राम चमना अम्बेडकर गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण	9.00	125.10	125.10	0.01
48.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत मल्लाकोटा से लोध तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण	—	221.76	221.76	0.01
49.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के रिखणीखाल ब्लाक के अन्तर्गत ढिमकी सम्पर्क मार्ग का निर्माण	3.50	48.65	48.65	0.01
50.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत सातसिंलिंग–थल मोटर मार्ग के किमी0 10 से पैकटिया तक सम्पर्क मार्ग	—	35.60	35.60	0.01
51.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत चम्पावत के किमतोली–रौशाल मोटर मार्ग से अम्बेडकर ग्राम अठलाड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	89.00	89.00	0.01
52.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत जनपद पौडी गढ़वाल के वि0ख0 पाबौं के में कुलमोरी सम्पर्क मार्ग का निर्माण	3.50	48.65	48.65	0.01
53.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत नैनीताल में गुरकुडिया लोगड पटरानी मोटर मार्ग का विस्तार	5.00	129.00	89.00	0.01
54.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत नैनीताल में देवीधुरा से धापला तक मोटर मार्ग का निर्माण	10.00	258.00	178.00	0.01
55.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत अल्मोड़ा के वि0ख0 चौखुटिया गनाई से अखेती मोटर मार्ग का नव निर्माण	3.00	60.00	53.40	0.01
56.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत अल्मोड़ा के वि0ख0 चौखुटिया में जमड़िया से बाइसओखला मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	100.00	89.00	0.01
57.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत क्यार सौड़ हेतु मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	81.00	81.00	0.01
58.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत डोबरा भुटियाण गांव हेतु मोटर मार्ग का निर्माण	7.00	113.40	113.40	0.01
59.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत डांगचौरा–पडियार गांव–बडोन मोटर मार्ग का निर्माण	1.700	27.54	27.54	0.01
60.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत बगड्वालधार से मोल्टा चक त्यालनी मोटर मार्ग का नव निर्माण	11.00	178.20	178.20	0.01

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

61.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत खोला(लोस्तू) देवगढ़ी हेतु गहड़ मोलधार ह0वा0 मार्ग को मो0मार्ग में परिवर्तन एवं सुधार कार्य का शेष भाग	0.600	11.64	11.64	0.01
62.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत पवेला हेतु तोली गुजेठा ह0वा0 मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं पुनःनिर्माण/ सुधार	0.900	17.46	17.46	0.01
63.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल में पालकोट से चौड जसपुर मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	81.00	81.00	0.01
64.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत कालापातल–सलियाकोट मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण	8.00	140.80	140.80	0.01
65.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत सतोली–कफूड़ा मोटर मार्ग का निर्माण	6.00	106.80	106.80	0.01
66.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत बिचखाली–सलकुली मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	35.60	35.60	0.01
67.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत बसगॉव–डडोर–बंसती मोटर मार्ग का निर्माण	8.00	142.00	142.00	0.01
68.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत दरमोली–पिठोली मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	35.60	35.60	0.01
69.	भलौन से सिमली–पातली–अमतोली–अमोठा मोटर मार्ग का निर्माण	12.00	279.34	213.60	0.01
	कुल योग		7509.24	6981.98	0.69

(रूपये उनहत्तर हजार मात्र)

(टी०के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत